निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या –89 / 2021 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 07 / 04 / 2021
निर्णय दिनांक– 09 / 07 / 2025

अनवान

1. भैरूसिंह पिता मोतिसिंह जाति रावत आयु 60 वर्ष निवासी दातडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुनसिंह पिता नाहरसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दातडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
2. कानसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दातडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
3. मदनसिंह पिता बगतावरसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दातडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
4. भैरूसिंह पिता फतहसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दातडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
5. केला पिता मांगीलाल जाति मोची (जीनगर) आयु बालिग निवासी मोखुदा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
6. नाथू पिता रामा जाति मोची आयु बालिग निवासी मोखुदा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
7. नाथू पिता केसुराम जाति ब्रहम्ण आयु बालिग निवासी मोखुदा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : **निर्णय** : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य खातेदारी, कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम दातडा पटवार मण्डल माद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या

सहायक कलक्टर, देवगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

107 आराजी संख्या 721, 722 कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 0.4000 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 109 आराजी संख्या 714, 716, 718, 720 कुल किता 04 कुल रकबा 1.1400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कुलिया आराजीयात पर प्रार्थीगण निर्बाध रूप से काश्त वगैरहा करता चला आ रहा, किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि के चारो ओर पत्थर की पक्की बाउन्ड्री/सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षी जो कि उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुए पडौसी है एंव हर समय फसल की कटाई एंव बुवाई के विवाद सीमा बाबत् बना रहता है तथा अनावश्यक प्रार्थी को मुकदमे बाजी के लिये विवस होना पडता है। मौके पर अशांति कायम रहती है प्रार्थी शांति पूर्वक काश्त, उपयोग व उपभोग भूमि का नही कर पा रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा से मिलते हुए विपक्षी की भूमि की सीमा है जिससे विपक्षी प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौसी है किन्तु सीमा बाबत् विवाद विपक्षी से पैदा होता है इसलिये आराजीयात के पडौसी होने से आवश्यक पक्षकार के रूप ये विपक्षी बनाया गया है। प्रार्थी खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो प्रार्थीको फसलो की बुवाई, कटाई के समय विपक्षी आराजीयात बाबत् जो हर वक्त विवाद पैदा होता है वह हमेशा, हमेशा के लिये समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थी शान्ति पूर्व काश्त वगैरहा व भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगी। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढी पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीकी खातेदारी भूमि के उक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित ग्राम दातडा खाता संख्याा 107 आराजी नम्बर 721 रक्बा 0.0800 हैक्टयर, आराजी नम्बर 722 रक्बा 0.3200 हैक्टयर, कुल किता 2 कुल रक्बा 0.4000 तथा ग्राम दातडा खाता संख्या 109 आराजी नम्बर 714 रक्बा 0.0700 हैक्टयर, आराजी नम्बर 716 रक्बा 0.0800 हैक्टयर, आराजी नम्बर 718 रक्बा 0.3400 हैक्टर, आराजी नम्बर 720 रक्बा 0.6500 हैक्टयर, कुल किता 4 कुल रक्बा 1.1400 भूमि की बाद नपती पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे

सहायक कलक्टर, देवगढ़ राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

भैरूसिंह बनाम अर्जुनसिंह व अन्य
प्रकरण संख्याः–89 / 2021(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–09 / 07 / 2025

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 07 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अंवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

भैरूसिंह बनाम अर्जुनसिंह व अन्य
प्रकरण संख्याः–89/2021(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–09/07/2025

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम दातडा खाता संख्याा 107 आराजी नम्बर 721 रकबा 0.0800 हैक्टयर, आराजी नम्बर 722 रकबा 0.3200 हैक्टयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.4000 तथा ग्राम दातडा खाता संख्या 109 आराजी नम्बर 714 रकबा 0.0700 हैक्टयर, आराजी नम्बर 716 रकबा 0.0800 हैक्टयर, आराजी नम्बर 718 रकबा 0.3400 हैक्टर, आराजी नम्बर 720 रकबा 0.6500 हैक्टयर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.1400 भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द